13.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान
से कामन सेवा केन्द्र- ग्रा.पं. छड़ जीनघी
से पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.।
विप्रार्थी क्र. 3 उपस्थित। शेष विप्रार्थी
अनुपस्थित व अपपक्ष की बहस सुनी
गई। वकील प्रार्थी की बहस है,
कि प्रार्थी की ~~खा~~ खातेदारी भूमि
ग्राम- छड़ अमरसिंह की खसरा संख्या
193/2 रकबा 2 बीघा की आई हुई है।
प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे
से होकर सरकारी काश्त करने तक
आने जाने हेतु विप्रार्थी क्र.1 व 2 की
खातेदारी भूमि के करीब रास्ते से से
आना जाना होता है। जिसे प्रार्थी
काफी समय से उपयोग मे ले रहा है।
इस कारण प्रार्थी को ख.क्र. 192 मे
से रास्ता दिया जावे। जो तहसीलदार
की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का
आवेदन स्वीकार किया जावे।

सहायक कलेक्टर-
SDO भिनमाल

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व संलग्न मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया। एवं विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 12.6.19 को प्रस्तुत जवाब को शामिल कर अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा, कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी खेत भूमि ग्राम एड. ~~[illegible]~~ अमरसिंह की खसरा संख्या 193/2 रकबा 2 बीघा भूमि में से होकर आने जाने हेतु, विपक्षी सं. 1 व 2 की खातेदारी / सम्भावित खातेदार हेतु आरक्षित भूमि खसरा संख्या 192 में से रास्ता चाहा गया है जबकि N.T सिवाइची की रिपोर्ट में ऐसा कोई स्पष्ट एवं ठोस कारण नहीं बताया गया है, कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की अति-आवश्यक है। एवं आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हो। जबकि खसरा संख्या 192 की भूमि में सिवाइची बाईपास पक्की डामर सड़क बनी हुई है। जबकि विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित किया गया, कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 1 व 2 की भूमि में प्रार्थी द्वारा रास्ते का ~~[illegible]~~ निर्माण कर एवं रास्ते के दोनों तरफ 8 से 10 पौधे लगाकर

सहायक कलेक्टर
SDC सिवाणा

Scanned by CamScanner

हिस्से से गोलाकार ~~सिंधी~~ परिधि ~~के~~ में बना रखी है वर्तमान आम्बू रोड़ के दोनो तरफ लगभग 100 मीटर लम्बाई में बाड़ एंव फेंसिंग बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इससे स्पष्ट है कि वादी हस्तगत आवेदन के जरिये किये गये अतिक्रमण को रास्ते के रूप में बदलना चाह रहा है जो विधि संगत नहीं है। इस प्रकार वादी का आवेदन में कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वादी द्वारा ऐसा कोई ठोस तथ्य - मय दस्तावेजी कागज पेश नहीं किया गया है जिनसे यह प्रमाणित हो, कि रास्ता अति आवश्यक हो। जबकि पिवादी नं. 1 व 2 के जवाबानुसार वादी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा हो। इस प्रकार वादी का आवेदन निरस्त योग्य है।

लिहाजा वादी का आवेदन सारभूत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया आज सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
12/6/12

सहायक कलेक्टर
SDC सिरोही

Scanned by CamScanner